

कार्यालय अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, हनुमानगढ़

क्रमांक:- निविदा/2020/1265

दिनांक :- 15/06/20

निविदा सूचना स. 3

निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, शिशु गृह, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, हनुमानगढ़ में निम्न जॉब/विजिट बेसिस कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु मोहर वन्द निविदा पंजीकृत सोसायटी से आमंत्रित की जाती है। यह निविदायें निर्धारित तिथि को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

क्र. स.	पद का विवरण	अनुमानित लागत रुपये लाखों में	धरोहर राशि रुपये	निविदा शुल्क रुपये	निविदा पत्र किये जाने की दिनांक व समय	निविदा पत्र प्राप्त की अन्तिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि
01	परामर्श दाता (विजिट बेस)	9.50	19000	500	26.06.2020 सुबह	07.07.2020	07.07.2020
02	केयर टेकर	लाख	रुपये	रुपये	10.00 बजे से	(समय 01:30 बजे तक)	(समय दोहर 03.00 बजे)
03	सामाजिक कार्यकर्ता				दिनांक 07.07.2020		
04	आया				दोपहर		
05	कम्प्यूटर ऑपरेटर				12.00 बजे तक		
06	रसोइया						
07	स्वीपर						
08	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी						

निविदा प्रपत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज निर्धारित तिथि को किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र शुल्क नगद जमा करवाकर दिनांक 07.07.2020 को समय प्रातः 12:00 बजे तक कार्यालय सगय में प्राप्त किये जा सकते हैं या वेबसाईट <http://www.sje.rajasthan.gov.in> या <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क (500) की डी.डी निविदा दाता द्वारा पृथक से अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, हनुमानगढ़ के नाम से बनवाकर दिनांक 07.07.2020 को 01:30 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। जो दिनांक 07.07.2020 को दोपहर 03:00 बजे विभागीय उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी।

निब कोड- CED 2021A0002

विड कोड- CED 2021 SSR000002

UBN


(महावीर)

अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं

किशोर गृह, हनुमानगढ़

दिनांक: 15/06/20

क्रमांक:- बा.अ.वि./20/1266-69

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 श्रीमान् निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव महोदय, निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग राज जयपुर।
- 2 श्रीमान् जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई हनुमानगढ़ राज.
- 3 प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर को वास्ते विभागीय साईट पर ऑन लाईन करने हेतु।
- 4 नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट/नगर परिषद/कार्यालय हाजा।


(महावीर)

अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं

किशोर गृह, हनुमानगढ़

शिड्युल 'जी'

राजस्थान – सरकार

कार्यालय अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह हनुमानगढ
वित्तीय बोली बिड



हनुमानगढ नगर विकास गृह
हनुमानगढ काड नं-1074

वित्तीय बोली/प्राईस बिड कार्य आधारित पर सेवाओं के उपापन के लिये वित्तीय बोली/प्राईस बिड दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी

क्र.स	सेवा का नाम	कार्मिक की श्रेणी	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदुरी प्रति कार्मिक प्रति माह	प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा न्यूनतम मजदुरी दर प्रतिमाह प्रति व्यक्ति	EPF राशि 13 प्रतिशत	ESI राशि 3.25 प्रतिशत	सेवा प्रदाता एजेंसी का सर्विस चार्ज राशि	प्रतिमाह प्रति व्यक्ति कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मैन (कम्प्युटर ऑपरेटर)	उच्च कुशल	7774					
2	सामाजिक कार्यकर्ता	उच्च कुशल	14000					
3	केयर टेकर	कुशल	6474					
4	परामर्शदाता	उच्च कुशल	8000					
5	रसोईया	कुशल	6474					
6	स्वीपर	अकुशल	5850					
7	आया	कुशल	6474					
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अकुशल	5850					

1. राज्य सरकार द्वारा दरों में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित दर मान्य होगी।
2. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) राशि अतिरिक्त रूप में देय होगी।
3. शून्य एवं ऋणात्मक दर अस्वीकार्य होगी।
4. क्र०स० 3,5,6,7 के सेवा दिवस 30/31 दिन (पूर्ण माह) रहेंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

क्र.सं.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये मानव श्रम का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये मानव श्रम की समयावधि	संबंधित विभाग/संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण-पत्र का अंकन

11. मैं/हम अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, हनुमानगढ़ द्वारा जारी की गई निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न निविदा दस्तावेजों में दी गई उक्त निविदा आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से वाध्य होना स्वीकार करते हैं।
12. संवेदक/निविदादाता द्वारा निविदा दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिये गये हैं। राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, शिशु गृह, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड अति संवेदनशील संस्था है। निविदादाता द्वारा निर्धारित जॉब बेसिस कार्य हेतु आवश्यक मांग की गई संख्या में मैन पॉवर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी कर्मकार के अवकाश/अनुपस्थित रहने पर उसके स्थान पर दूसरे कर्मकार को तत्काल नियोजित करना होगा अन्यथा 500 रु० प्रतिदिन प्रति कार्मिक एजेन्सी से वसूल किया जावेगा। अचानक किसी भी कार्मिक की आवश्यकता होने पर न्यूनतम मजदूरी के आधार पर भुगतान के साथ पूर्व निर्धारित सर्विस चार्ज के साथ कार्मिक के सेवा की मांग की जा सकेगी। जिसमें ईपीएफ/ईएसआई/जीएसटी नियमानुसार देय होगा। विभाग को उपलब्ध करवाये जाने वाले कार्मिकों का पुलिस चरित्र सत्यापन संस्था द्वारा करवाकर इस कार्यालय को जमा करवाया जाएगा।
13. निविदा सूचना संख्या दिनांक..... जो कि अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, हनुमानगढ़ द्वारा जारी की गई है, में वर्णित सभी शर्तों की पालना के लिये हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठ में दी गई हैं, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने की प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, का भी पालन करने के लिये हम सहमत हैं।

दिनांक:-


 अधीक्षक
 हस्ताक्षर निविदादाता
 राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
 संस्था/फर्म/एजेन्सी की सील
 हनुमानगढ़ कोड नं. 7974

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो विभाग को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी अमानत राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार एवं अन्य आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, हनुमानगढ़ को प्रदत्त करता हूं/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम
 पत्र व्यवहार का पता

 मोबाईल नं०

कार्यालय अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, हनुमानगढ़

(ए) जॉब बेसिस कार्यों के लिये निविदा की शर्तें एवं नियम

क्र.सं.	पद का नाम	कार्य का विवरण	शैक्षणिक योग्यता
1.	परामर्शदाता	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 35235 दिनांक 28.02.2019 से जारी मार्गदर्शिका के अनुरूप काउन्सलिंग करना। बच्चों के शारीरिक एवं भावनात्मक स्थिति को समझना। बच्चे के अनुसार बताये गये घटना के कारणों का जानना एवं सुनना। जब बच्चा मुश्किल में हो तो उचित ढंग से प्रतिक्रिया देना। बालक की उपस्थिति, हावभाव, चाल, आवाज से उसके बारे में अनेक बातें जानना। इस तरह के सम्प्रेक्षण के प्रयोग में शब्दों की बजाय महसूस करना। जो बच्चें उन्हें रैफर किए गए हैं परामर्श एवं सहायता देना और समूह आधारित गतिविधियां करना। बच्चों को उसके परिवार या समुदाय पुनः जोड़ने में सहायता करना। बच्चों के पूर्ण व्यक्तित्व और सामाजिक विकास को बढ़ाना तथा उसके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम करना। जब आवश्यकता हो किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति/न्यायालय को काउंसलिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करना अथवा गवाही के लिए जाना। उक्त के अतिरिक्त संस्थान के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य संपादित करना। बच्चों की गोपनीयता को बनाये रखना। 	मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री/समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री/एमएसडब्ल्यू बच्चों के साथ कार्य करने/काउंसलिंग का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव
2.	केयर टेकर कम हाउस मदर एण्ड फादर	आदर्श नियम 63 में निर्धारित कार्य	12 वीं पास बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव
3.	सामाजिक कार्यकर्ता	<ul style="list-style-type: none"> आई सी पी एन योजना एवं दत्तक ग्रहण विनियम 2017 में वर्णित कार्य 	किसी भी संकाय में स्नातक। बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव
4.	आया	<ul style="list-style-type: none"> शिशुओं की उचित देखरेख करना। शिशुओं के लिए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना। शिशुओं को उचित पोषण उपलब्ध कराना। चिकित्सक/नर्स की राय अनुसार दवाई/भोजन उपलब्ध कराना। शिशुओं के चिकित्सालय में उपचाराधीन होने की स्थिति में उनके साथ रहना। उक्त के अतिरिक्त संस्थान के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य संपादित करना। 	8 वीं पास
5.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह के निर्देशानुसार कार्य संपादित करना। टंकण कार्य करना। एवं विभाग द्वारा चाही गई सूचनाओं/पालनाओं को समय पर तैयार कर प्रेषित करना।	12 वीं पास आरएससीआईटी या अन्य उच्च कम्प्यूटर प्रशिक्षण या डिग्री प्राप्त हिन्दी व अंग्रेजी टंकण में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट शुद्ध टंकण
6.	रसोइया	<ul style="list-style-type: none"> राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में आवासित बालकों हेतु निर्धारित मैनुअल के अनुसार शुद्ध पोषक प्रातः कालीन नाश्ता, चाय, दोपहर का भोजन एवं रात्री कालीन भोजन बनाना एवं बिमार बच्चों हेतु डाक्टर के परामर्श अनुसार अलग से भोजन तैयार करना। रसोईघर की साफ-सफाई रखना प्रतिदिन पौधा लगाना। अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह के निर्देशानुसार रसोई आदि सम्बन्धी कार्य संपादित करना। 	साक्षर रसोईये सम्बन्धी कार्यों में कुशल
7.	स्वीपर	<ul style="list-style-type: none"> गृह परिसर की एवं शौचालय स्नानागार की नियमित साफ-सफाई एवं अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह के निर्देशानुसार कार्य सम्पादन करना। 	साक्षर सफाई कार्य में कुशल
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	<ul style="list-style-type: none"> अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह के निर्देशानुसार कार्य संपादित करना। 	8वीं पास

निविदादाता को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ें एवं अपनी निविदा भेजते समय इनकी पूर्ण रूप से पालना करनी होगी।

बी) निविदादाता की पात्रता के मापदण्ड (Eligibility Criteria) जो अनिवार्य है एवं जिनके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी:-

1. निविदादाता फर्म श्रम विभाग/विनिर्दिष्ट विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए (श्रम विभाग के नियम के अनुसार)
2. निविदादाता फर्म ई0पी0एफ0 विभाग एवं ई.एस.आई. विभाग राजस्थान राज्य में पंजीकृत होनी चाहिये ईपीएफ एवं ईएसआई संबंधी समस्त कार्यवाही अपने स्तर पर एजेंसी को करवानी होगी और पीएफ एवं ईएसआई रिटर्न जमा करवाना एवं कार्मिकों को संबंधित लाभ अदा करने का पूर्ण दायित्व निविदादाता एजेंसी का ही होगा।
3. निविदादाता को निविदा के साथ पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जावेगी।
4. निविदादाता को निर्धारित निविदा प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, हनुमानगढ़ के नाम देय हो निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे। निविदा प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी। डीडी/बैंकर चैक की निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर संबंधित को पुनः वैध करवाने का दायित्व निविदादाता फर्म का होगा। अनुमानित निविदा लागत का 2 प्रतिशत का डीडी/बैंकर चैक बिड प्रपत्र के साथ जमा करवाना होगा।
5. निविदादाता फर्म को गत दो वर्ष की अवधि में कम से कम 15 लाख प्रतिवर्ष का टर्न ओवर होना आवश्यक है। इसकी पुष्टि के लिये रिटर्न की प्रति संलग्न करना आवश्यक है अथवा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
6. निविदादाता फर्म द्वारा दिनांक 31.03.2019 तक जीएसटी को जमा करवाये जाने के संबंध में जमा राशि की रिटर्न प्रस्तुत की जावेगी अथवा नवीनतम जीएसटी रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
7. इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा प्रपत्र तथा एसपीपीपी पोर्टल पर डाउनलोड किये गए निविदा प्रपत्र ही मान्य होंगे। बिड कार्यालय में प्रस्तुत करते समय बिड प्रपत्र का मूल्य 500 रु0 का डीडी/बैंकर चैक अलग से देना होगा अन्यथा बिड मान्य नहीं होगी।

(सी) निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण:-

1- निविदा के साथ निम्न सत्यापित दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य है:-

1. विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराये गए कार्मिकों के कार्य आदेश/अनुभव प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
2. वित्तीय टर्न ओवर के संबंध में सीए रिपोर्ट. 2 वर्ष की अथवा लाभ हानि खाता तथा बैलेंस शीट।
3. पेन-कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति।
4. निविदा प्रतिभूति राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क राशि के मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक।
5. वित्तीय बिड वाले लिफाफे को बंद कर उपर "वित्तीय बिड" अंकित कर नीचे फर्म का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित करेगा व अपनी फर्म का नाम लिख कर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
6. श्रम विभाग, ई0पी0एफ0 विभाग एवं ई0एस0आई0 विभाग के नवीनतम पंजीयन प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां एवं रिटर्न यदि हो तो संलग्न करेगा।
7. एजेंसी के स्थाई पते के संबंध में नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दस्तावेज।
8. संस्था की भारत सरकार, राज्य सरकार व किसी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं किये जाने एवं गत संस्थान में कार्मिकों की सेवा उपलब्ध करवाये की निर्धारित मजदूरी का पूर्ण भुगतान अदा कर दिया गया है एवं नियमानुसार ईपीएफ/ईएसआई जमा करवाई गई है, के संबंध में 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
9. किसी विभाग में कार्य करने का अनुभव हो तो अनुभव प्रमाण पत्र साथ संलग्न होगा।

(डी)- सामान्य नियम एवं शर्तें:-

निविदा की सामान्य शर्तें:-

1. कार्य की अवधि अनुबंध की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी। जिसे विभाग द्वारा आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
2. निविदादाता/संस्था/फर्म/अनुमोदित फर्म को पूर्व में राजकीय कार्यालयों/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में व अन्य संस्थाओं में निविदा में उल्लेखित कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियों प्रस्तुत करनी होगी।

3. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित निविदा प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा निविदा के साथ जमा करानी होगी। सफल निविदादाता की निविदा प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में समायोजित कर लिया जाएगा। निविदा प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. सफल निविदादाता द्वारा अवयस्क एवं अशक्त व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। किसी भी कर्मकार के अवकाश पर रहने या राजकीय अवकाश के दिनों में अपेक्षित संख्या में कर्मकारों की सेवा प्रदाय करने का दायित्व सेवा प्रदायकर्ता को होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
5. किसी भी निविदा व उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विभागीय क्रय समिति को होगा।
6. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार विभागीय क्रय समिति को होगा।
7. न्यूनतम दर स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार विभागीय क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
8. निविदादाता का श्रम विभाग से मानव श्रम आपूर्ति करने का पंजीयन करवाना आवश्यक होगा। यदि विड प्रस्तुत करने के समय पंजीयन नहीं हो तो करार करते समय पंजीयन प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा (यदि पंजीयन नियम लागू हो तो) पंजीयन ना दे सकने की सूरत में संबंधित निविदादाता की फर्म की विड अस्वीकार कर दी जावेगी। साथ ही ई.एस.आई व पी.एफ. विभाग में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। संबंधित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।
9. सेवा प्रदायकर्ता को निविदा कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को निविदा कार्य सबलेट नहीं करेगा।
10. निविदा की शर्तों का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये निविदा निरस्त कर दी जाएगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
11. निविदा के संबंध में अन्य कोई शर्तें मान्य नहीं होंगी। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आवरण करने संबंधित प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने का निर्देश सेवा प्रदायकर्ता को देता है तो निविदादाता द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा।
13. सेवा प्रदायकर्ता को अनुबंध के साथ उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकारों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित प्रस्तुत करनी होगी। इनके आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से निविदादाता जिम्मेदार होगा। सेवा प्रदायकर्ता को अपने कर्मकारों को पहचान/परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे जो सदैव कर्मकारों के पास रहेंगे और ड्यूटी के दौरान पॉकेट या गले में रखना होगा। वह पहचान पत्र किसी अधिकारी के मांगे जाने पर दिखाने होंगे। चाहे वह कर्मकार एक दिवस के लिए ही किसी की अनुपस्थिति में सेवा देने के लिए ही क्यों ना आया हो। बिना परिचय पत्र के कोई भी कर्मकार कार्य के लिए नहीं भेजा जावेगा।
14. अधीक्षक द्वारा निविदादाता से संबंधित कोई भी सूचना सेवा प्रदायकर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु सेवा प्रदायकर्ता को कार्य स्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नामजद करना होगा जो कि निविदादाता के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी हो।
15. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकार की कार्य अवधि निविदा कार्य की अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जावेगी एवं किसी भी स्थिति में कर्मकार नियमित नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
16. कार्य की आवश्यकता के अनुसार कर्मकारों की संख्या को कम व अधिक करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, हनुमानगढ़ का होगा।
17. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध कराये जायेंगे। यदि किसी समय निविदादाता द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध कराये जाने पर कार्य

सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुमोदित राशि के आधार पर गणना कर उक्त कटौती के साथ आंकलित राशि की 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से काटी जाएगी।

18. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह निविदादाता स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। निविदादाता को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य घण्टे दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व समस्त प्रकार का रिकॉर्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
19. निविदा अनुमोदन होने पर संबंधित संस्था/फर्म/एजेन्सी द्वारा नियमानुसार 500 रु/1000 रु के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। अनुमोदन होने के पश्चात कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 3 दिवस के भीतर या नियत तिथि तक संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवानी होगी अन्यथा आपूर्ति न करने की अवधि का प्रतिदिन प्रति सेवाकर्मी 500 रु की पेंनेल्टी राशि बिल में से कटौती की जावेगी।
20. निविदादाता द्वारा अपने कर्मकारों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उनकी मजदूरी का भुगतान आवश्यक रूप से करना होगा चाहे विभाग द्वारा बिल भुगतान करने में किसी भी कारण से देरी हो।
21. मानव श्रम के संबंध में प्रस्तुत बिल के भुगतान के संबंध में दिये गये कार्य आदेश के आधार पर ही भुगतान किया जावेगा। एजेन्सी जब भी लेखाशाखा में बिल को प्रस्तुत करेगी उस बिल के साथ कार्मिक के खाते में किये गये मानदेय/मजदूरी का प्रमाण एवं ईपीएफ एवं ईएसआई की चालान की प्रति गत माह की जिसमें उसका नाम प्रदर्शित होता हो प्रस्तुत करेगी। उक्त प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही आगामी बिल का भुगतान किया जाएगा।
22. सेवाप्रदायकर्ता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर या उसका कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में निविदादाता को स्वीकृत निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा एवं बिड अन्य एजेन्सीदाता फर्म को रिस्क ऑन कोस्ट पर दे दी जावेगी। जिसका हरजाना दोषी एजेन्सी को भुगताना होगा।
23. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य के उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग होता है तो उसकी समस्त दायित्व क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए सरकार या विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। यदि कोई एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिक द्वारा कोई चोरी/गबन किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी जिससे 15 दिवस के भीतर विभाग को सौपना होगा अन्यथा उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से वसूली की जावेगी एवं शेष राशि जब्त कर ली जावेगी।
24. यदि निविदादाता किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें विभाग प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो विभाग प्रशासन पर पडने वाला समस्त भार निविदादाता से वसूला जाएगा।
25. यदि निदेशालय, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा जॉब बेस कार्मिक के संबंध में किसी प्रकार का मौद्रिक अथवा अमौद्रिक फेर बदल किया जाता है तो वह हमें/मुझे/मेरी निविदादाता फर्म को मान्य होगा। कार्मिक को किये गये कार्य दिवस का ही पारिश्रमिक अदा किया जावेगा अर्थात् दैनिक मजदूरी ही दी जावेगी।
26. यदि निविदादाता एवं कर्मकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। विभाग के प्रशासन का कोई दायित्व नहीं होगा।
27. निविदा में दर्शायी गई दरों में किसी भी प्रकार की कांट-छांट नही की जावें। यदि कोई त्रुटि हो तो स्पष्ट कर अपने लघु हस्ताक्षर करे। यदि राशि को अंको अथवा शब्दों में लिखने पर फर्क होता है तो जो राशि का अंक अथवा शब्द विभाग को लाभ की दृष्टि से उचित लगे वही माना जावेगा। इस संबंध में एजेन्सी कोई विरोध नहीं करेगी।
28. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जावेंगे। निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस बात को दर्शायेगें कि निविदादाता ने सभी शर्तों को भलीभांति पढ लिया है

और पूर्ण रूप से समझ लिया है। अतः निविदादाता को चाहिए कि सभी शर्तों को पढ़कर समझ ले तभी हस्ताक्षर करे।

29. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के तहत सत्य निष्ठा संहिता (नियम 80), हित का विरोध (नियम 81)(नियम 82) तथा धारा 38 इस निविदा प्रारूप के भाग होंगे।
30. सेवाओं में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर 7 दिवस के लिए कार्य में अपेक्षित सुधार का नोटिस दिया जावेगा। सेवाओं में अपेक्षित सुधार नहीं होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करते हुए अनुमोदित फर्म/फर्म को काली सूची में डालकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
31. टीडीएस की कटौती विभाग द्वारा भुगतान करते समय नियमानुसार की जावेगी।
32. निविदा कार्य अवधि के दौरान राज्य सरकार के द्वारा यदि किसी भी प्रकार का मानदेय में बदलाव किया जाकर नई दरें लागू की जाती हैं। तो उक्त मानदेय के अनुसार निविदादाता को भुगतान करना होगा। बिल एवं बिल के साथ संलग्नको पर निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।
33. निविदादाता संबंधित जॉब कार्य के कर्मकारों को स्वयं के स्तर से प्रति माह दिये जाने वाले मानदेय की विवरण स्लिप उपलब्ध करायेगा।
34. कर्मकारों को न्यूनतम मानदेय का भुगतान करने तथा उनके पीओएफो व ईओएसआईओ का अंशदान सम्बन्धित विभागों में जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/निविदादाता की होगी।
35. श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय से कम मानदेय का भुगतान नहीं किया जावेगा। अनुपस्थित दिवसों की कटौती प्रति दिन की न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से कटौती की जावेगी। लगातार 3 दिवस से अधिक अवधि का अवकाश होने पर कर्मकार को भुगतान नहीं किया जावेगा।
36. यदि निर्धारित जॉब बेसिस कार्य बिन्दुओं पर कार्य व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई तो कार्यालय/गृह में निविदादाता को संबंधित जॉब बेसिस कार्य हेतु लगाये गये कर्मकारों को बदलना होगा।
37. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही का अधिकार क्षेत्र हनुमानगढ़ न्यायालय में ही होगी।
38. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दर पर सर्विस टैक्स एवं सर्विस चार्ज की दर पृथक-पृथक प्रतिशत में देनी होगी।
39. सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 समस्त रूप से उक्त बिड में लागू होगी।



अधीक्षक
राजकोष संरक्षण एवं विशोर गृह
सम्प्रक्षण एवं
हनुमानगढ़ कोड नं.-7974
विशोर गृह, हनुमानगढ़

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या ए-1 से डी-39 तक को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत हैं। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। हमारे द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न है।

दिनांक:-

निविदादाता के हस्ताक्षर ,

नाम

संस्था की मोहर